

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1418] No. 1418] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर ७, २००९/भाद १६, १९३१

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2009/BHADRA 16, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(मैट्रो रेल प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

का.आ. 2279(अ).—केन्द्रीय सरकार, मैट्रो रेल (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 7 सितम्बर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. के-14011/40/2003-एमआरटीएस/मैट्रो]

बिमल कुजूर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Metro Rail Cell)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2009

S.O. 2279(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Metro Railways (Amendment) Act, 2009 (34 of 2009) the Central Government hereby appoints the Seventh September, 2009 as the date on which the provisions of the said Act, shall come into force.

[F. No.K-14011/40/2003-MRTS/Metro]

BIMAL KUJUR, Under. Secy.